FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम देगूं

केली बाई बनाम शंकर

करम मुकदमा धारा 128 L.R. Act नं. 16/2018 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27-3-18	वकील श्री वी.पी. शर्मा द्वारा प्रा. पत्र अं. धारा 128 L.R. Act व इस्तगासा केली बाई V/s शंकर शाह पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु लिखाकर पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्थरगढ़ी कराई जाकर पत्रनाथ पत्र तहसीलदार देगूं को भेजा जावे। पत्रावली पालना में दिनांक 07/05/2018 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देगूं (चित्तौड़गढ़)	
07/05/2018 (रु. 1/750 में पत्र जारी)	पत्रावली आज पेश की गयी। पालना हेतु पत्र जारी नहीं हुआ है। आज ही पत्र तहसीलदार देगूं को जारी हो। पत्रावली पालना में राजस्व लोक अदालत शिविर ग्रेनाई दिनांक 15/05/2018 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देगूं (चित्तौड़गढ़)	
15/05/2018	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर ग्रेनाई पर पेश हुई। पालना पेश की गयी जो आखिल मिसल है। पालना पेश होने से कोई पत्रावली शेष नहीं है। पत्रावली खारिज मुआवजा सेटर नंबर से कम लेकर दाखिल दफ्तर है।	